न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर

वाद स0 91/2014

1. मिठू बालिग पुत्र लालू (फोत)
   1/1 श्री मती चांदु उर्फ चांदी पत्नी स्व0 मिठू
   1/2 श्री मती गीता पुत्री स्व मिठू
   1/3 श्री मती शांती पूत्री स्व0 मिठू
   1/4 श्री ललीता पुत्री स्व0 मिठू
   1/5 श्री कैलाश पुत्र स्व0 मिठू
   1/6 श्री मती गीता पत्नी स्व0 प्रभू पुत्र मिठू
   1/7 श्री देशराज पुत्र स्व0 प्रभू
   1/8 श्री रामराज पुत्र प्रभू
2. हगामीलाल पुत्र लालू
   सभी जाति खाती निवासीगण नन्दवाडा तहसील मसूदा
3. शम्भूलाल बालिग पुत्र लालु (फोत)
   3/1 श्री मती सायरी पत्नी स्व0 शम्भूखाती
   3/2 श्री परमेश्वर पुत्र स्व0 शम्भूखाती
   दोनो जाति खाती निवासीगण नन्दवाडा तहसील मसूदा
   3/3 श्री मती कंचन पुत्री स्व0 शम्भूखाती पत्नी रघुवीर जी
   जाति खाती निवासी धोलाभाटा अजमेर

वादीगण

बनाम

1. गज्जा पुत्र तेजाजी
2. लादू पुत्र तेजाजी
3. मगना पुत्र तेजाजी
4. उगमा पुत्र तेजाजी
5. नैना पुत्र तेजाजी
6. हरलाल पुत्र तेजाजी
   जाति कुमावत निवासीयान नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0। बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्रीमति नन्दू बेवा तेजाजी जाति कुमावत निवासी गांव नन्दवाडा तहसील ब्यावर जिला अजमेर राज0।
7. राज0 सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अजमेर।
8. राज0 सरकार जरिये भु–धारक तहसीलदार,मसूदा।
9. राज0 सरकार जरिये उपपजींयक मसूदा।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादीगण

वाद वास्ते, घोषणा हक खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा व रेकार्ड दुरस्ती अर्न्तगत धारा 88, 91, 92ए, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

1. श्री ज्ञानचंद गादिया
   एडवोकेट वादीगण
2. श्री सलीम मो0
   एडवोकेट प्रतिवादी उपस्थित

निर्णय

दिनांकः–12.11.2016

इस वाद पत्र मे वादीगण ने सारांशत निवेदन किया है कि मौजा नन्दवाडा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित विवादित आराजी साबिक ख0न0 793 रक्बा 0–12–10 हाल न0 793 रक्बा 0–06–00 व 793/2161 रक्बा 0–02–10 व 793/2423 रक्बा 0–04–00 तथा साबिक न0 796 रक्बा 0–15–00 हाल न0 796 रक्बा 0–15–00 कुल किता 2 रक्बा 1–07–10 बीघा मे प्रतिवादी स0 1 से 5 बालिग खातेदार काश्तकार थे। उन्होने तथा प्रतिवादी 6 हरलाल नाबालिग बजरिये वली बडा भाई गज्जा ने मिलकर सभी ने बिल एंवज प्रतिफल राशि दिनांक 05.02.1981 को वादीगण को विक्रय कर कब्जा भूमि भौतिक रूप से मौके पर सभंला दिया था। तब से विवादित आराजियात मे वादीगण ही खुले आम सबकी जानकारी मे काबिज काश्त चले आते है। बाद खरीद के वादीगण ने अपने नाम ना0क0 हेतु विधिक रूप से आवेदन किया और यही समझते रहे कि भूमि अपने नाम लगा दी गई होगी। लेकिन प्रतिवादी स0 1 से 6 द्वारा दिनांक 05.10.2014 को मौके पर आये और कहने लगे कि हमारे नाम है और हमने इसका बटवारा कर लिया है यह प्रतिवादी स0 2 के नाम गई है अतः वादीगण को अपनी क्रयशुदा भूमि के लिए वाद लाना पडा है। प्रतिवादीगण के बेचान रोज से विवादित आराजी मे कोई अधिकार नही है उन्हे जरिये स्थाई निषेध आज्ञा वादीगण के कब्जे काश्त मे दखलंदाजी सें निषेध किया जावे तथा वादीगण को विवादित आराजी मे खातेदार घोषित कर प्रतिवादी 2 के स्थान पर वादीगण के नाम लगवाई जावें।

वाद विचारण के दौरान वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 से 3 असालतन वकालतन हाजिर आये और आपसी समझाईश से राजीनामा कर लिए जाने का निवेदन करते हुए राजीनामा पेश किया। जिसे पढकर सुनाने पर उपस्थित उभय पक्ष सहमत हुए। पक्षकरान की पहचान उनके वकीलो ने की अतः वाद तस्दीक राजीनामा शा0मि0 किया गया। राजीनामे पर अभिभावकगण को सुना गया। उनका निवेदन रहा कि प्रतिवादी 2 के नाम खातेदारी है और उसे कोई एतराज नही तो वाद बहक वादीगण डिक्री कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बेचानरोज विवादित आराजी प्रतिवादी स0 1 से 6 की संयुक्त खातेदारी मे रही होगी लेकिन वर्तमान मे ग्राम नन्दवाडा की जंमाबदी स0 2067 से 2070 के खाता स0 513 मे ख0न0 793,793/2161 व 793/2423 व 796 प्रतिवादी स0 2 लादू के नाम खातेदारी मे लगी हुई है और उसने वादीगण से समझोता कर वादीगण की मान ली है। अतः वाद स्वतः वादीगण के पक्ष मे स्वीकार योग्य बनता है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है और आज लोक अदालत की रूह से बजरिये राजीनामा वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा वादीगण को मौजा नन्दवाडा स्थित आराजी ख0न0 793 रक्बा 0–12–10 के मिन न0 793 रक्बा 06 बिस्वा व 793/2161 रक्बा 0–02–10 बिस्वा 793/2423 रक्बा 04 बिस्वा तथा 796 रक्बा 15 बिस्वा मे प्रतिवादी स0 2 लादू के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्त कर घोषित किया जाता हैं। तथा राजस्व जमांबदी मे प्रतिवादी स0 2 लादू के स्थान वादीगण के नाम का जरिये ना0क0 अमल करने के आदेश पारित किये जाते है तथा प्रतिवादीगण को विवादित आराजी मे वादीगण के चले आ रहे कब्जे काश्त मे दखलंदाजी आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2016 को राष्ट्रीय लोक अदालत पर सरे इजलास सुनाया गया।

सुरेश चावला
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी,
मसूदा

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:46:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: